प्रवर्तन

सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करना केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की जिम्मेदारी है। चलचित्र अधिनियम 1952 के तहत दण्ड प्रावधानों को लागू करना राज्य/संघ राज्य सरकार का कार्य है, क्योंकि फिल्मों का प्रदर्शन राज्य-प्रशासन से संबंधित विषय है।

अधिनियम व नियम के प्रावधानों के उल्लंघनें कई प्रकार की हैः-

चलचित्र अधिनियम का उल्लंघन और दण्ड

फिल्म में प्रस्तुत मुख्य उल्लंघन निम्नप्रकार हैः-

(क) 'व' प्रमाणपत्र प्राप्त फिल्म का अवयस्कों के लिए प्रदर्शन

(ख) 'एस' वर्ग में प्रमाणित फिल्म उपयुक्त दर्शकों से भिन्न को प्रदर्शित करना

(ग) प्रमाणित रूप से भिन्न रूप में फिल्म का प्रदर्शन को अन्तर्वेशन कहा जाता है। अन्तर्वेशनों के विविध प्रकार नीचे दिए गए हैः-

(1) फिल्म को प्रमाणित करते समय बोर्ड द्वारा काटे गए भागों को प्रदर्शन के समय प्रिन्ट में पुनःजोडना।

2) प्रमाणन के समय बोर्ड को न दिखाए गए भागों को फिल्म के प्रिंट में जोडना।

(3) प्रमाणित फिल्म से संबंध न रखनेवाले भागों का प्रदर्शन

(घ) प्रमाणपत्र को अस्वीकृती देने वाले फिल्म (या सार्वजनिक प्रदर्शन में रोक लगाया गया फिल्म) का प्रदर्शन

(ड) अन्य फिल्मों के नकली प्रमाणपत्र के साथ अप्रमाणित फिल्मों का प्रदर्शन।

(च) सेंसर प्रमाणपत्र के बिना फिल्मों का प्रदर्शन।

चलचित्र अधिनियम का उल्लंघन और दण्ड

सेंसरशिप प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित अपराध अवेक्षणीय है और गैर जमानती भी है।

चलचित्र अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत सेंसरशिप प्रावधानों के लिए दण्ड का प्रावधान है। धारा 6(क) के तहत फिल्म सौंपनेवाले व्यक्ति ने प्रदर्शक या वितरक को उस फिल्म में दिए गए काट-छाट, प्रमाणन, शीर्षक, लंबाई तथा शर्त इत्यादि से संबंधित संपूर्ण जानकारी देना जरूरी है अन्यथा दण्ड लागू कर सकते है।

सेलुलॉयड फिल्मों के प्रदर्शन करते समय उल्लंघन करनेवाले दोषी को तीन वर्ष तक का कारावास अथवा और एक लाख रूपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। दुबारा अपराध के लिए प्रतिदिन रू.20,000/- का अधिक जुर्माना हो सकता है। इसी तरह वीडियो फिल्मों के मामले में दोष पाए जाने पर कम से कम तीन महीने से लेकर तीन साल तक कारावास और रू.20,000/- से एक लाख रूपए तक का जुर्माना हो सकता है। दुबारा अपराध के लिए प्रतिदिन रू.20,000/- का अधिक जुर्माना हो सकता है।

इसके अलावा जांच अदालत द्वारा उल्लंघित फिल्म को जप्त करने का निदेश दे सकते है। धारा 7 (क) के तहत पुलिस अधिकारी द्वारा उल्लंघित फिल्म दिखानेवाले सिनेमाधर की तलाशी करने के बाद प्रिंट को जप्त कर सकते हैं। उन फिल्मों को भी जप्त कर सकते हैं जिसकी प्रदर्शन से चलचित्र अधिनियम का उल्लंघन करने की संभावना है।